संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, खेल भवन जी.ई. रोड रायपुर

फोन 0771–2262178, वेबसाईट :–www.sportsyw.cg.gov.in, ई–मेल :–dir-sportsyw.cg@gov.in

क्र. / पुरस्कार–74 / 2024–25 / 1452 रायपुर, दिनांक 09 / 09 / 2024

विज्ञापन

गुण्डाधूर सम्मान वर्ष 2024–25 हेतु अनुशंसाओं का आमंत्रण

विषयान्तर्गत 01 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले गुण्डाधूर सम्मान वर्ष 2024–25 हेतु 25 सितम्बर, 2024 तक निर्धारित प्रारूप में अनुशंसाएं आमंत्रित की जाती हैं।

गुण्डाधूर सम्मान एक खिलाड़ी या एक दल को दिया जा सकेगा। प्रत्येक अलंकरण में राशि 1.00 लाख नगद, अलंकरण फलक, प्रशस्ति पत्र से सम्मनित किया जाएगा।

चयन का मापदण्डः–

1. गुण्डाधूर सम्मान ऐसे पात्र खिलाड़ियों को दिए जाऐंगे, जिन्होंने वर्ष 2023–24 (विगत वर्ष) में ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के खेल अलंकरण हेतु विचार क्षेत्र में लिया जाता है, के सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो।
2. यह सम्मान पुरूष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों के लिए सम्मिलित रूप से होगा अर्थात् उपलब्धियों की तुलना सम्मिलित रूप से की जाएगी।
3. इस सम्मान के लिये उन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय / अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है।
4. सम्मान हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।
5. यदि चयन समिति की राय में किसी विशेष वर्ष में इस सम्मान को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है।
6. यह सम्मान विभाग के अन्य खेल पुरस्कारों के अलावा होगा जो खिलाड़ी को उसकी उपलब्धि के लिये दिया गया है, लेकिन महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान से अलंकृत खिलाड़ी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. यह सम्मान किसी खिलाड़ी को उसके जीवनकाल में केवल एक बार ही दिया जाएगा।
8. यदि किसी खिलाड़ी या दल को उपलब्धि वर्ष या सम्मान वर्ष में मान्यता प्राप्त खेल संगठन द्वारा राज्य या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए यह सम्मान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

क्रमशः.........2

9. सम्मान हेतु प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव लाया जाना प्रविष्टि के लिए अनर्हता मानी जाएगी।
10. ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी की प्रविष्टि उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्त्रोत से सम्मान हेतु प्राप्त हुई है, उस खिलाड़ी ने इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है।
11. प्रथम दृष्टि में उपयुक्त होते हुए भी विभाग संबंधित खिलाड़ी की प्रविष्टि पर विचार करने के लिए उस खिलाड़ी की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार अपने पास रखता है।

गुण्डाधूर सम्मान की नियमावली छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 249, दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित हुई है, तत्संबंधी नियमों के सभी प्रावधानों/नियमों/शर्तों का पालन करते हुए इस सम्मान हेतु खिलाड़ी/खिलाड़ियों या एक दल का चयन जूरी द्वारा किया जाएगा।

नौकरी पेशा आवेदको के लिए :- राज्य/केन्द्र के शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी/कर्मचारी पर सम्मान/पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उन पर संबंधित सरकार द्वारा लागू नियम का भी परिपालन किया जाना अनिवार्य है।

उक्त नियमों को खेल विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में भी देखा जा सकता है तथा निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।

अनुशंसा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर, 2024 है। विभागीय वेबसाईट www.sportsyw.cg.gov.in में आवेदन का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। इस अवधि में अनुशंसा पत्र, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर अथवा खेल एवं युवा कल्याण के जिला कार्यालयों में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

9/9/24

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

Desktop/Award